(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 94 / 2023 **दायर दिनांक: 10.07.2023**

उनवान

1. शारदाबाई पत्नि बालूसिंह जाति सोंधिया नि. टिकटिकिया तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. गम्भीरबाई पत्नि परवतसिंह जाति सोंधिया नि. टिकटिकिया तहसील रायपुर
2. सज्जनबाई पत्नि भगवानसिंह जाति सोंधिया नि. टिकटिकिया तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह चन्द्रावत

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री मतीन खान

निर्णय

दिनाक: 02.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम कराड़िया ओसाव प.ह. हिम्मतगढ़ 18 165 तहसील हसील रायपुर की आराजी खसरा नंबर 177 रकबा 1.1888 हे प्रार्थी के नाम खाते दर्ज होकर कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी खाता सम्वत् 207 पेश है। यह कि प्रार्थीया के खसरा नं. 177 पर जाने आने को रास्ता टिकटिकिया के खसरा नं. 75 सरकारी दर्ज भूमि से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी [illegible] 75/422 [illegible] होकर है प्रार्थीया इसी रास्ते पर होकर निकलता है परन्तु [illegible] अब निकलने से रोकते है और उन्होने रास्ता बंद कर दिया है। यह कि [illegible] की आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जाने आने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थी की आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] बांध बनने से पानी भरने से भी प्रार्थी को अपनी आराजी पर जाने–आने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने आने के लिए 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थी अपने ट्रक, ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग हो सके। यह कि प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले निर्धारित (नियमानुसार) राशि भुगतान करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थी ने उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी व कानूनगो से कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी, इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कराड़िया ओसाव प.ह. हिम्मतगढ़ तह. रायपुर की आराजी ख.नं. 177 रकबा 1.1888 पर जाने आने का रास्ता 12 फिट चौडाई का अप्रार्थी के खसरा नं. 75/422 की उत्तरी मेढ़ पर होकर स्वीकृत किया जावें। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 राजस्व रेकॉड से संबंधित होने से जवाब का मोहताज नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित कथन झूठे, मनगड़ंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्योकि उक्त आराजी ग्राम कराड़िया ओसाव में स्थित है। यह कि उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम कराड़िया ओसाव में स्थित है और अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम टिकटिकिया में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी की अलग–अलग गांव में कृषि आराजी स्थित है। नियमानुसार राजस्व ग्राम में राजस्व ग्राम में ही रास्ता दिया जाता है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 मनगड़ंत तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

के आधार पर लिखा होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है उसके पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है उसने अप्रार्थीगण को दुर्भावना पूर्वक तंग व परेशान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 झूठे, मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद अपनी सुविधा के लिए प्रार्थीगण की भूमि से नया रास्ता मांग रहा है जो गलत है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित किया है कि वो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी खसरा नं. 75/422 उत्तरी मेढ़ पर होकर प्रार्थीया इसी रास्ते से होकर निकलता है परन्तु अप्रार्थीगण अब निकलने से रोकते है और अब उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है जो सरासर झूठा कथन है यदि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में जरा भी सच्चाई होती तो वो ग्राम पंचायत व श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर को रास्ता खुलासे के लिए प्रार्थना पत्र देता लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 अप्रार्थीगण पूरी तरह से अस्वीकार करते है प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी से 12 फीट रास्ता लेने का हकदार नहीं है। प्रार्थी के पास उसके खेत पर आने-जाने का पहले से ही रास्ता सनातन काल से मौजूद है। प्रार्थी कभी-भी अप्रार्थीगण की आराजी का रास्ते का उपयोग नहीं किया है क्योंकि अप्रार्थीगण की कृषि आराजी में रास्ता है हि नहीं। प्रार्थी अपने घर से सीधा नया रास्ता सुविधायुक्त लेने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 के वर्णित कथन पूरी तरह से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी के पास उसके खेत पर आने-जाने का रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग व उपभोग करके प्रार्थी कृषि-काश्त करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 के कथन अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 7 में वर्णित कथन के संबंध में प्रार्थी ने रास्ते के लिए कोई लिखित प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी व कानूनगो को नहीं दिया सिर्फ कहा। जबकि प्रार्थी को रास्ते के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत व तहसीलदार को देना होता है। [illegible] कथन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने राजस्व [illegible] अधिकारी से साठ-गाठ करके [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा, जिला [illegible] (राज०)

(4)

23.10.2021 की मौका रिपोर्ट पूरी संशय के घेरे में है और शून्य व निष्प्रभावी है और दिनांक 23.10.2021 की मौका रिपोर्ट में 2 रास्तो का वर्णन किया गया है और मौका रिपोर्ट, बनाने के बाद सिर्फ 2 गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये और उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद मौका रिपोर्ट दिनांक 23.10.2021 के पृष्ठ 2 के पैरा खत्म होने के बाद छोटे-छोटे अक्षर में लिखा गया पूर्व वाला रास्ता डूब में आ गया है। इस तरह से 2 गवाह पूरसिंह व जसवंत सिंह के हस्ताक्षर करवाने के बाद मौका रिपोर्ट में कूट-रचना करके धोखाधड़ी का अपराध कारित किया जिसके संबंध में पूरसिंह व जसवंतसिंह ने प्रार्थी व अन्य मुल्जिमान के खिलाफ धोखाधड़ी करने कूट-रचना करने का मुकदमा दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र/परिवाद ऑनलाईन मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिनांक— 10.01.2023 को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय कोटा व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झालावाड़ को दिया। परिवाद व प्रार्थना पत्र की प्रति व राजस्थान सम्पर्क (एकिकृत शिकायत निवारण प्रणाली) राजस्थान सरकार प्राप्ति रसीद दिनांक 10.01.2023 संलग्न है। जबकि श्रीमान के द्वारा दिनांक 27.10.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णय दिया गया। जबकि दिनांक 27.08.2021 को अप्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए और तारीख पेशी दिनांक 22.10.2021 दी गई फिर उसके उपरान्त दिनांक 27.10.2021 को उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में निर्णय दिया गया जो नैसर्गिक व पारदर्शी न्याय के विपरित है। जिसकी अपील अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गई। उसके उपरान्त भी प्रार्थी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा जोर-जबरदस्ती, ताकत के बल पर, पद का दुरुपयोग करके अप्रार्थीगण के खेत की खड़ी फसल को नष्ट करके रास्ता दिलाने का प्रयास किया गया। जबकि अप्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर को दिनांक 31.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा विधिक नोटिस दिया और मामले की सत्यता से अवगत करवाया। उसके उपरान्त भी राजस्व कर्मचारी व प्रार्थी मनमानी प[illegible] हे। नोटिस की प्रति व असल डाक रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न [illegible] यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 8 कानूनी होने से जवाब की [illegible] नहीं है। अतः जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी कॉस्ट पर खारीज किया जाने की कृपा करे।

3. पैरोकार सरकार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2024/631 दिनांक 31.05.2024 से जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि पटवार हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण संख्या 94/2023 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम कराडिया ओसाव प०म० हिम्मतगढ़ की वादग्रस्त आराजी ख.न. 177 रकबा 1.1888 है० व ख. न. 176 रकबा 0.4047 है० कुल किता 2 रकबा 1.5935 है० भूमि खातेदार शारदाबाई पत्नि बालूसिह जाति सोंदिया सा०देह० टिकटिकिया हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम ग्राम कराडियाओसाव के खाता संख्या 102 में खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रकरण में आलेखित ख०स० 75 व 75/422 ग्राम कराडिया ओसाव मे स्थित न होकर ग्राम टिकटिकिया में स्थित है। वर्तमान में आराजी ख०न० 75 ग्राम टिकटिकिया के खाता स० 1 ख.स. 75 रकबा 2.5672 है० खातेदार राज० सरकार के नाम खातेदारी दर्ज है तथा आराजी ख.स. 75/422 वर्तमान में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा के न्यायालय आदेश अनतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत निर्णय की पालना मे नामान्तरण संख्या 636 निर्णय दिनांक 05.07.2022 से तत्कालीन ख.स. 75/422 दो भागो मे अलग अलग ख.स. मे विभक्त होकर नयाआराजी ख.स. 481/422 रकबा 0.0505 है० किस्म गेर मुमकिन रास्ता दर्ज होकर खाता सरकार मे दर्ज हो गया है एव दूसरा नया ख.स. 480/422 रकबा 1.2141 है० खातेदार गम्भीरबाई पत्नि पर्वतसिह हि0 1/2 सज्जनबाई पत्नि भगवानसिह हि0 1/2 जाति सोंदिया निवासी टिकटिकिया के नाम ग्राम टिकटिकिया खाता संख्या 154 पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी ख.स. 176, 177 ग्राम कराडियाओसाव व ग्राम टिकटिकिया की आराजी ख.स. 75, 481/422 व 480/422 का मौका देखा गया मौके पर ग्राम टिकटिकिया की आराजी ख.स. 75 वर्तमान मे पडत है। जहा पर वर्तमान में कोई रास्ता न तो बना हुआ है व ना ही रास्ता चालू है। इस प्रकार ग्राम टिकटिकिया के [illegible] ख.स. 481/422 रकबा 0.0505 है किस्म मुरास्ता भूमि पर न ही कोई [illegible] हुआ है ना ही रास्ता चालू है। एक वर्तमान में उक्त भूमि को [illegible] हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

तैयार किया जा चुका है। आराजी ख.स. 480/422 रकबा 12141 हे० भूमि भी वर्तमान में जोत कर फसल बुवाई हेतु खातेदारान द्वारा फसल बुवाई हेतु तैयार कर रखी है। उक्त सभी ख.न. ग्राम टिकटिकिया पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा के आदेश की पालना में रास्ता दिलाया गया था जो कि वर्तमान में पूर्ण रूप से अवरूद्ध है एव माननीय न्यायालय के निर्णय पूर्व के तत्कालीन खातेदारान द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है। उक्त विवादग्रस्त वादी की आराजी ख.रा. 177 ग्राम कराडियाओसाव मे स्थित है उक्त आराजी के पडोसी खातेदार के आराजी ख.स. 397/179 के मध्य मे मुताबिक नक्शा लटठा डोटेड रास्ता स्थित है उक्त आराजी खा.स. 397/179 खातेदार गांगीलाल पुत्र धूला हि0 1/3 शांतिबाई पत्नि मोतीलाल हि0 1/3 गुड्डीबाई पत्नि बालचन्द हि0 1/3 जाति दांगी निवासी हिम्मगढ के शामलाती खाते मे दर्ज है एंव मौके पर आपसी सहमति से मेड डालकर हिस्सा अनुसार काश्त की जा रही है। उक्त आराजी में डोटेड रास्ते से वादी की खातेदारी आराजी ख.स. 176, 177 की दूरी कुल एक जरीब आठ गठठे उतरी मेड पर स्थित है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम करडिया ओसाव के खाता सं. 102 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल , नक्शा ट्रेस दिनांक 16.07.2021, ग्राम टिकटिकिया के खाता सं. 154 की जमाबंदी सं. 2071–74 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 16.07.2021 की छायाप्रति नजरी नक्शा दिनांक 30.07.2021 प्रस्तुत किया।

5. अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 23.10.2021 की छायाप्रति, दिनांक 10.01.2023 को सम्पर्क पोर्टल पर प्रस्तुत परिवाद की प्रति व रसीद की प्रति पेश की।

6. तहसीलदार रायपुर की ओर से मौका व जांच रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोर्ट, ग्राम टिकटिकिया के खाता सं. 1 व खाता सं. 154 जमाबंदी सं. 2071–74 की नकल, खसरा नक्शा किता 3 दिनांक [illegible]05.2024, ग्राम कराडिया ओसाव के खाता सं. 102, 108 जमाबंदी सं. [illegible]–76 की नकल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नक्शा दिनांक 23.05.2024, खसरा नक्शा दिनांक 30.05.2024 पेश की।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम कराडिया ओसाव की आराजी ख.नं. 176 व 177 की रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रार्थी की उक्त आराजी ग्राम कराडिया ओसाव की ग्राम टिकटिकिया से लगवा सीमा पर स्थित है। प्रार्थी की आराजी ख.नं. 177 से लगवा पश्चिम दिशा में राजस्व ग्राम टिकटिकिया का मूल ख.नं. 75/422 हाल ख.नं. 480/422 व 481/422 व ख.नं. 75/370 स्थित है, उत्तर दिशा में ग्राम कराडिया ओसाव का मूल ख.नं. 175 व 454/175, उत्तर पूर्व में ख.नं. 455/175 एवं पूर्व दिशा में ख.नं. 397/179 स्थित है। ख.नं. 454/175, 455/175 व ख.नं. 397/179 चंवली बांध परियोजना में अधिग्रहित होकर डूब क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी व्यवस्तार्थ के लिए पहले अप्रार्थीगण की ग्राम टिकटिकिया की आराजी ख.नं. 75/422 की उत्तरी मेड जिसके हाल नं. 481/422 है– से होकर सरकारी ख.नं. 75 से होते हुए मुख्य सडक कराडिया ओसाव के ख.नं. 174 तक आते जाते रहे है लेकिन वर्ष 2021 में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त काम चलाउ अस्थायी रास्ते को जबरन बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी की आराजी तक न तो कृषि उपकरण को लाया लेजाया जा सकता है और न ही कृषि कार्य हेतु आया जा सकता है जिससे प्रार्थी की आराजी पडत रह जाती है। अप्रार्थीगण की भूमि की मेड के सहारे बने अस्थायी रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर पूर्व की भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण वर्ष में अधिकांशतः बांध के पानी में डूबी रहती है। अतः प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी अप्रार्थी की रास्ते की दी जाने वाली भूमि का डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान करने को सहमत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

8. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब पत्र में अंकित बिन्दुओं का पूजोर विरोध कर अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम कराडिया ओसाव की आराजी तक पहूँच हेतु ग्राम कराडिया ओसाव के ख.नं. 397/179 में होकर मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। ख.नं. 397/179 डूब क्षेत्र में नहीं है और प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता यही से होकर है। प्रार्थी ख.नं. 175 हाल ख.नं. 501/175 व 502/175 से होकर ही अपनी आराजी ख.नं. 177 पर आसानी से पहूँच सकता है। ख.नं. 175 से होकर बना रास्ता सबसे लघुत्तम रास्ता होगा। प्रार्थी की आराजी ख.नं. 75/422 से होते हुए सरकारी भूमि ख.नं. 75 से होकर मुख्य सडक ख.नं. 174 तक पहुँचने वाला रास्ता लघुत्त नहीं होकर अधिक लम्बा होगा। **अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि तहसीलदार रायपुर ने अपनी नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 में स्पष्ट अंकन किया है कि ग्राम टिकटिकिया की सरकार भूमि ख.नं. 75 में होकर वर्तमान मे न तो कोई रास्ता बना हुआ है और न ही प्रचलित है। प्रार्थी ख.नं. 397/179 में होकर लटठा नक्शे में बने डोटेड रास्ते से अपनी आराजी तक पहूँच सकता** है। अभिभाषक अप्रार्थी ने आगे तर्क किया कि प्रार्थी ग्राम कराडिया ओसाव के ख.नं. 455/175 या 397/179 या 501/175 व 502/175 की बजाय ग्राम टिकटिकिया के अप्रार्थीगण के ख.नं. 75/422 में होकर इसलिए रास्ता चाहता है कि प्रार्थी का घर अवैध रूप से पास के सरकारी भूमि ख.नं. 75 में बना हुआ है। अतः प्रार्थी का अपने घर से अपने खेत तक जाने आने में सुविधा रहेगी। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में सुविधा के लिए रास्ता देने का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थी की भूमि ख.नं. 177 राजस्व ग्राम कराडिया ओसाव में स्थित है जबकि अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 75/422 राजस्व ग्राम टिकटिकिया में स्थित है और दूसरे राजस्व ग्राम में होकर नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

9. अभिभाषक प्रार्थी ने पुनः तर्क किया कि तहसीलदार रायपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 में ग्राम कराडिया ओसाव के ख.नं. 397/179 में होकर जो डोटेड रास्ता दिखाया है वह खातेदारान द्वारा मेड तोडकर आपस में खेत में मिलाया जाना भी अं[illegible] है। आगे कथन किया कि तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट में पहूँच हेतु [illegible] वैकल्पिक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं दिखाया है। ख.नं. 397/179 वर्ष के अधिकांश समय बांध के डूब में रहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

10. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

<u>(i)</u> <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– ग्राम कराडिया ओसाव की जमाबंदी सं. 2071–74 के अनुसार ख.नं. 176 व 177 किता 2 रकबा 1.5935 है. प्रार्थी के खाते दर्ज रिकार्ड है जबकि इसके लगवा पश्चिम दिशा में स्थित ग्राम टिकटिकिया की आराजी ख.नं. 370/75 रकबा 0.2023 है. व ख.नं. 480/422 (मूल ख.नं. 75/422) रकबा 1.2141 है. अप्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कराडिया ओसाव के ख.नं. 455/175, 501/175 , 502/175, 397/179 एवं ग्राम टिकटिकिया के ख.नं. 75, 75/367 व मूल ख.नं. 75/422 के खसरा नक्शा, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा दिनांक 16.07.2021, दिनांक 30.07.2021 व दिनांक 27.10.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी ख.नं. 176 व 177 तक पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/631 दिनांक 31.05.2024 में अंकन किया है कि प्रार्थी की आराजी के लगवा पूर्व मे स्थित आराजी ख. नं. 397/179 में होकर लटठा नक्शा में डोटेड रास्ता तो बना हुआ है लेकिन मौके पर तीनो सहखातेदारो ने मिलाकर खेत बना रखा है अर्थात यह डोटेड रास्ता निजी खातेदारी में होने और उपयोग में नहीं आने से मौके पर चालू नहीं है। **यह सही है कि जल संसाधन विभाग जिला झालावाड द्वारा चंवली सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कराडिया ओसाव के वादग्रस्त आराजी के उत्तर में स्थित ख.नं. 454/175, 171, 407/147, 169, 446/168, 172, 198, 199, 200, 201. 202, 203, 180, 461/179, 447/196 आदि का अधिग्रहण होकर बांध के डूब क्षेत्र मे जा चुके है।** तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी [illegible] हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं बताया है। इस न्यायालय के प्र[illegible] सं. 41/2021 में दिये गये निर्णय दिनांक 27.10.2021 की पालना में प्रार्थी की आराजी तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पहूँच हेतु रिकार्ड में जो रास्ता ख.नं. 481/422 दर्ज किया था उसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.01.2023 से अपास्त किया जा चुका है। यदि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड या वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खेत पर आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु दिक्कते आना जाहिर है और पहूँच मार्ग के अभाव में खेत का पडत रहना भी स्वाभाविक है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की अति आवश्यकता है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – तहसीलदार रायपुर की रास्ते बाबत् तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 तथा ग्राम कराडिया ओसाव के ख.नं. 455/175, 501/175 , 502/175, 397/179 एवं ग्राम टिकटिकिया के ख. नं. 75, 75/367 व मूल ख.नं. 75/422 के खसरा नक्शा, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा दिनांक 16.07.2021, दिनांक 30.07.2021 व दिनांक 27.10.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी ख.नं. 176 व 177 तक पहूँच हेतु न तो कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है और न ही मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः साबित है कि प्रार्थी की आराजी ख.नं. 176 व 177 पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड/वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होना:– प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता अप्रार्थीगण की टिकटिकिया की आराजी मूल ख.नं. 75/422 की उत्तरी मेड के सहारे जिसका हाल ख.नं. 481/422 है – से होकर जाता है जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता मुख्य सडक ख.नं. 174 से ख.नं. 455/175 या 397/179 या 501/175 व 502/175 से होकर आता जाता है। ग्राम कराडिया ओसाव के खसरा नक्शा एवं ग्राम टिकटिकिया के ख्सरा नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी ख.नं. 176 तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 455/175 तथा 501/175 व 502/175 की मेड से होकर है। इस प्रकार ख.नं. 177 तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता भी ख.नं. 501/175 व 502/175 से होकर होगा। ग्राम टिकटिकिया के अप्रार्थी के मूल ख.नं. 75/422 से होता हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(15)

ख.नं. 75 में होकर मुख्य सड़क तक पहुँचने वाला रास्ता तुलनात्मक रूप से अधिक लम्बा होगा। इन रास्तो की लम्बाई तहसीलदार रामपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं की है। नवीनतम जमाबंदी अनुसार करडिया ओसाव की मुख्य सड़क ख.नं. 174 से लगता स्थित उक्त ख.नं. 455/175, 501/175 व 502/175 जल संसाधन विभाग द्वारा चंवली सिंचाई परियोजना के अधीन अधिग्रहित नहीं किये गये है। यदि खसरा नं. अधिग्रहित नहीं किये गये है तो जाहिर है कि बांध के डूब क्षेत्र में नहीं आते है। ग्राम करडिया ओसाव का ख.नं. 397/179 के चंवली परियोजना में अधिग्रहित होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है लेकिन तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 में खातेदारान द्वारा इस पर काश्त किया जाना अंकित किया है। अतः उपरोक्त विवेचन से साबित है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुँच हेतु लघुत्तम व सीधा रास्ता ग्राम टिकटिकिया के मूल ख.नं. 75/422 व 75 में होकर नहीं होकर ग्राम करडिया ओसाव के ख.नं. 455/175 या 501/175 व 502/175 या 397/179 से होकर होगा और प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नं. के खातेदारान को न तो पक्षकार बनाया है और न ही उनसे अनुतोष चाहा गया है। **धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में सुविधाजनक रास्ते के स्थान पर लघुत्तम पहुँच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है।** अप्रार्थीगण के इस कथन पर कि – प्रार्थी का घर ख.नं. 75 में अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 75/422 के पास स्थित है– पर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। **अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्त लघुत्तम पहुँच मार्ग साबित न होकर सुविधाजनक पहुँच मार्ग साबित होता है।** धारा 251 ए आर.टीएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है –

[251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is **absolute necessity** and it is not for **mere convenient enjoyment** of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that **absence of alternative means** of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, **through the shortest or nearest route**, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम टिकटिकिया की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 75/422 से होकर प्रार्थी की आराजी ख.नं. 176 व 177 तक पहूँच हेतु चाहे गये रास्ते के संबं[illegible]का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किये जाने [illegible] नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(17)

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner